

तारीख  
हुकम

13.01.20

पत्रावली में हुई अपीलकर्ता एवं  
 22/01/20 के अपीलकर्ता  
 अपील है। 22/01-20 के अंत  
 में आदेशों को एक याददास्त  
 करते राजीनामा अनुसार पत्रावली का  
 निरस्त करने का निर्देश किया गया है कि  
 कि कि उनके मध्य आपसी सहमति से  
 समाप्त हो गए हैं इसी में अपील  
 में अपील यदि करते जिसे साबित की जावे  
 कि उन्हें कोई आपसी नहीं है। अपीलकर्ता  
 को 22/01/20 के अंत में आपसी सहमति पत्र  
 को।



अतः अपीलकर्ता को अपील को जरूरी प्रक्रिया  
 के अंत में आपसी सहमति अनुसार अपील  
 निरस्त करने की अनुमति लोक अदालत की  
 मध्यम के अनुसंधान पत्रावली की जावे है। तथा  
 अपील को जरूरी जिसे साबित किया जावे है।  
 पत्रावली एवं फिलाल नकारों का को जावे।  
 अपीलकर्ता आपसी का मूल डेटा मापदंडों  
 की अनुमति सहित ली जावे।

डिविजनल कमिश्नर  
 जोधपुर

22/01/20

अपीलकर्ता

अपीलकर्ता  
(अपी. 183/2018)